तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर अहका[illegible] हुक्म [illegible] में ज[illegible]
२२-६-१६ नि०रामधन	पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत कैम्प बूचोलाई पर पेश हुई। वादी रामधन उपस्थित है। वादीने राजीनामा इस आशय का पेश किया है कि वह इस दावे की भूमि के सम्बन्ध में सामाजिक तौर पर एवं रिश्तेदारों के माध्यम से भूमि का निर्णय कराने का प्रयास करूंगा। इसलिए मेरा दावा वापिस लेने की अनुमति दे दी जावे। यदि मेरे व मेरे भाईयों के सुरजन व कल्याण के मध्य इसकी सहमति नहीं बनती है तो मुझे नवीन दावा पेश करने की अनुमति भी प्रदान की जावे। इसी अनुसार दावा निर्णित कर दिया जावे। प्रस्तुत राजीनामे का अवलोकन किया गया। राजीनामा स्वीकार किया जाकर राजीनामे अनुसार वादी को यह वाद वापिस लेने एवं नवीन वाद पेश करने की अनुमति दी जाती है। पर्चा डिक्री जारी किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (सतीश कुमार शर्मा) एडवोकेट सदस्य [illegible] लोक अदालत [illegible] (रवि कुमार शर्मा) एडवोकेट सदस्य [illegible] (मुनिदेव यादव) अध्यक्ष लोक अदालत [illegible] एवं उप जिला [illegible]	

नम्बर
अहक
हुक्म
में

कैम्प बूचोलाई
... वादीने
... है कि
... के
... के माध्यम
... करुंगा।
... अनुमति दे दी
... व
... बनती है
अनुमति भी
... निर्णीत कर
... किया
राजीनामे अनुसार
... वादी
... वाद पेश
... डिक्री जारी
... होकर नम्बर
... दफ्तर हो।

(मुनिदेव यादव)
लोक अदालत
गंगापुर सिटी
एवं
... जिला ... कलेक्टर
गंगापुर ...

मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखंड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) बूचोलाई

पीठासीन अधिकारी—: मुनिदेव यादव, आर.ए.एस.

उनवान

(उनवान पृष्ठ भाग पर अंकित है।)

मुकदमा नं. – 172/2014

वादी की ओर से वादी रामधन की व प्रतिवादी की ओर से प्रतिवादी कोई नही की उपस्थिति में इस वाद मे आज तारीख 22.6.2016 को मुनिदेव यादव (पीठासीन अधिकारी) के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश दिया जाता है कि और डिक्री दी जाती है कि

लोक अदालत में पक्षकारो द्वारा प्रस्तुत राजीनामे के अनुसार वादी को यह वाद वापिस लेने एवं नवीन वाद पेश करने की अनुमति दी जाती है। राजीनामा निर्णय का हिस्सा रहेगा।

खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेगे।

यह आज तारीख 22.6.2016 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई

(उपखंड जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी — मुद्रा)

मुनिदेव यादव
उपखंड अधिकारी
गंगापुर सिटी
उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1 वादपत्र के लिए स्टाम्प 2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3 प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4 ....रूपये पर प्लीडर की फीस 5 साक्षियो के लिए निर्वाह व्यय 6 कमिश्नर की फीस 7 आदेशिका की तामील		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियो के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड		जोड	

उनवान

रामधन पुत्र गंगाधर गुर्जर निवासी जयसिंहपुरा तह0 गंगापुर सिटी —वादी

बनाम

1. गंगाविशन पुत्र गोविन्दा गुर्जर निवासी जयसिंहपुरा तह0 गंगापुर सिटी (मृतक)
2. सुरजन दत्तक पुत्र श्रीया गुर्जर निवासी जयसिंहपुरा तह0 गंगापुर सिटी
3. कल्याण दत्तक पुत्र गंगाविशन गुर्जर निवासी जयसिंहपुरा तह0 गंगापुर सिटी
4. भरोसी पुत्र गंगाविशन गुर्जर निवासी चूली तह0 गंगापुर सिटी
5. सुरजो पुत्री गंगाविशन पत्नी रामजीलाल गुर्जर निवासी चौहनपुरा तह0 मलारना डूंगर

5/1. आशाराम पुत्र रामजीलाल गुर्जर निवासी चौहनपुरा तह0 मलारना डूंगर

5/2. बलराम पुत्र रामजीलाल गुर्जर निवासी चौहनपुरा तह0 मलारना डूंगर

5/3 फोरन्ती पुत्री सुरजो पत्नी बच्चू गुर्जर निवासी बूचोलाई तह0 गंगापुर सिटी

5/4 लोटन्ती पुत्री सुरजो पत्नी बनेसिंह गुर्जर निवासी मकसूदनपुरा

5/5 गोरन्ती पुत्री सुरजो पत्नी शंकरलाल गुर्जर निवासी छार्रा तह0 गंगापुर सिटी

6. काडी पुत्री गंगाविशन पत्नी गिर्राज गुर्जर निवासी चूली तह0 गंगापुर सिटी
7. कल्याणी पुत्री श्रीया पत्नी रामधन गुर्जर निवासी चूली तह0 गंगापुर सिटी
8. लेण्ड होल्डर सरकार जरिए तहसीलदार जी तहसील गंगापुर सिटी

—प्रतिवादीगण

दावा घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

कार्यालय-उप जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी (स0मा0)